राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर।

क्रमांक – एफ 4 (ई) जे–544 / 92 / अलेसे–III / 7973 – 7980 दिनांक – 15.01.2013

आदेश संख्या 259 /2012–13

श्री जगदीश प्रसाद परसोया, कनिष्ठ लेखाकार उपकोष कपासन (चित्तौड़गढ़) को, गंभीर लापरवाही बरतने, पदीय कर्तव्यों का पालन नहीं करने एवं कार्यालय में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक स्था./कोष/2012/195 दिनांक 15.02.2012 के द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया था। निलम्बन आदेश की पुष्टि विभागीय समसख्यक कार्यालय आदेश क्रमांक 14011–14017 दिनाक 23.03.2012 के द्वारा की गई तथा विभागीय ज्ञापन क्रमांक एफ1(सी) 1548/जांच/2012/605–608 दिनांक 21.09.2012 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (सीसीए) नियम 1958 के नियम 17 के तहत आरोप पत्र जारी किये गए। दिनांक 03.12.2012 को विभागीय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा उक्त श्री परसोया को निलम्बन से बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त गठित कमेटी के निर्णय के सम्बन्ध में जारी कार्यवाही विवरण दिनांक 03.01.2013 के क्रम मे श्री जगदीश प्रसाद परसोया, कनिष्ठ लेखाकार को उनके विरूद्ध विभागीय जांच को लम्बित रखते हुए, तुरन्त प्रभाव से निलम्बन से बहाल करते हुए उनको आदेश की प्रतिक्षा में लिया जाकर मुख्यालय उपकोष राशमी, चित्तौड़गढ़ में किया जाता है।

निदेशक

क्रमांक – एफ. 4 (ई) जे–544 / 92 / अलेसे–III / 7973 – 7980 दिनाक – 15.01.2013

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उपशासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़।
3. कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़।
4. उपकोषाधिकारी राशमी, (चित्तौड़गढ़)।
5. उपखण्ड अधिकारी कपासन (चित्तौड़गढ़)।
6. श्री जगदीश प्रसाद परसोया, क0 लेखाकार मुख्यालय उपकोषालय राशमी, (चित्तौड़गढ़)।
7. कम्प्यूटर अनुभाग, (वेबसाईट हेतु)।
8. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
9. गोपनीय शाखा / पदस्थापन सीट / निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली / जांच शाखा।
10. श्री महेन्द्र कुमार गोयल, क0 लेखाकार कार्यालय हाजा।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

F:\SAS-II\DT A\VERMA G\OFFICE ORDER.doc- 87 -